पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBENo.- 13/15

CPO's Sl. No. 24/15

No. E/MISC/0/ECR/HSP

dated : 7/4/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू0म0रे0, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
10. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर

विषय/Sub: नई खानपान नीति, 2010 - 188 डीम्ड प्रतिनियुक्त पदधारियों (डीडीओ) को आईआरसीटीसी से रेलवे में वापस भेजना.

संदर्भ/Ref: रेलवे बोर्ड का पत्रांक सं. ई (एनजी) I-2003/डीआर/10/पार्ट-III दिनांक 2/3/15.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।
DA : As above.

7/4/15
(एम० के० चौधरी)
सकाधि/ESM एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर ।
2. महासचिव/एस0सी0/एस0टी0 एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर ।
3. सकाधि (एमपी/पी) पूमरे/हाजीपुर, कृपया इसे नेट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ० बी० सी० एसोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर

आर. बी. ई सं. 13/2015

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर
रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. ......
दिनांक ......

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2003/टीआर/10/पार्टIII

नई दिल्ली, दिनांक 02.03.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें,
(मानक सूची के अनुसार).

प्रबंध निदेशक,
आईआरसीटीसी,
16, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
नई दिल्ली.

विषय: नई खानपान नीति, 2010- 188 डीम्ड प्रतिनियुक्त पदधारियों (डीडीओ) को आईआरसीटीसी से रेलवे में वापस भेजना।

खानपान कार्यों में अनुभवी कर्मचारियों को तैनात करने के लिए नई खानपान नीति-2010 तैयार होने के परिणामस्वरूप बोर्ड के दिनांक 28.12.2010 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2003/टीआर/10 और दिनांक 27.06.2011 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2003/टीआर/10/पार्ट के तहत आईआरसीटीसी और क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें रेलवे के खानपान विभाग के उन कर्मचारियों जिन्हें प्रशासनिक कारणों से पेंशन/सेवानिवृत्ति संबंधी कोई लाभ नहीं दिया गया था, से 31.03.2003 को मौजूद वरिष्ठता के अनुसार इस शर्त के साथ विकल्प मांगा गया है कि उनकी परिणामी पदोन्नति के कारण मौजूदा खानपान कर्मचारियों और पुन: नियुक्त कर्मचारियों की पदावनति नहीं की जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में, आईआरसीटीसी में कुल 188 डीम्ड प्रतिनियुक्त अधिकारियों ने अपनी संबंधित मूल रेलों में वापस जाने का अपना विकल्प दिया था। आईआरसीटीसी द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से इन सभी 188 डीडीओ के पूर्ववृत्त और सेवा विवरण का सत्यापन कर लिया गया है।

2. बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है जिन्होंने उपर्युक्त सभी 188 डीडीओ के कार्यकाल को आईआरसीटीसी में डीम्ड प्रतिनियुक्त अवधि मानते हुए एक विशेष मामले के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर रेलों में वापस भेजने के लिए अनुमोदित करने की इच्छा व्यक्त की है। आईआरसीटीसी को इस बीच की अवधि के लिए संबंधित रेलों को एफएससी प्रभार देना होगा क्योंकि उसे सभी प्रयोजनों के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि के रूप में माना जाता है। इन कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनके मूल संवर्ग में 31.03.2003 अर्थात् आईआरसीटीसी में उनके समाहन से पहले की स्थिति के अनुसार की जाएगी। वे सभी परिणामी पदोन्नतियों के लिए बोर्ड के दिनांक 28.12.2010 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2003/टीआर/10 (आरबीई सं. 187/2010) के तहत

जारी पदों की संशोधित प्रतिशतता के अनुसार इस शर्त के साथ पात्र होंगे कि ऐसे वापस भेजे गए कर्मचारियों की परिणामी पदोन्नति के कारण मौजूदा खानपान कर्मचारियों और पुन: नियुक्त कर्मचारियों की पदावनति नहीं की जाएगी।

3. आईआरसीटीसी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और संबंधित कर्मचारी की मूल रेलवे ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार पुन: नियुक्त करें। आवश्यक समझे जाने पर संबंधित कर्मचारियों के सेवा विवरण का सत्यापन किया जाए।

4. कृपया पावती दें।

(अरविंद कुमार)
कार्यपालक निदेशक स्था.(एन)
रेलवे बोर्ड